फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री जगाराम पिता श्री जवाना राम नि. बासड़ाई पो. लाखागुडा तहसील भीम जिला राजसमंद

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. कलक्टर, राजसमंद

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 21/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.04.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये क्रमांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2022/353–355 दिनांक 14 मार्च, 2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अर्पीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग कार्य्रालय की होने से मूल ही प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(i)(ii) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग को जरिये पत्रांकः एफ.1 ( )सू.अ.,05/2020/42–43 दिनांक 10.01.2022 से अन्तरण कर प्रेषित करते हुए प्रार्थी को सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग कार्यालय की होने से मूल ही प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(i)(ii) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग को जरिये पत्रांकः एफ.1 ( )सू.अ.,05/2020/42–43 दिनांक 10.01.2022 से अन्तरण कर प्रेषित	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

करते हुए प्रार्थी को सूचित किया गया। प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा के द्वारा जरिये पत्रांकः 3722 दिनांक 18.01.2022 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 एच के अनुरूप अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना नहीं होने से संबंधित कार्यालय को पुरालेख अधिकारी, राजस्थान राज्य अभिलेखाकार अजमेर व तहसीलदार, भीम को समयावधि में अंतरण किया गया, जिसकी सूचना से प्रार्थी को प्रतिलिपि देते हुए सूचित कराया गया । अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से संबंधित कार्यालय को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतरित करते हुए अपीलांट को प्रति दी जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी

(जिला कलक्टर) राजसमंद

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)